स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निर्मल उत्तराखण्ड
स्वच्छता की उड़ान

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

फोन/फैक्स न0– 05963–221761 E-Mail I.D–eepmgsybageshwar@rediffmail.com

पत्रांकः– 490/ दिनांक 26/8/2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– ***जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.124 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।***

सन्दर्भः– *उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–1052(1)/X-4-15/1(532)/2015, दिनांक 08.03.2015*

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1052(1)/X-4-15/1(532)/2015, दिनांक 08.03.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत गयी थी जिसमें अधोरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। उक्त पत्र के क्रम में अनुपालना निम्नवत् है–

1– शर्त संख्या–1 प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.248 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि ₹1899530.896 जमा की जा चुकी है।

2– प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये डिमाण्ड नोट तथा नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून द्वारा सत्यापित जनरेटिड चालान के अनुसार धनराशि जमा करायी गई है।

3– शर्त संख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि ₹2709468.00 जमा कर दी गयी है।

4– शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

5– शर्त संख्या–5 के अनुपलन में विभिन्न मदों में देय धनराशि को RTGS के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (पुष्टि पत्र संलग्न है)

6– शर्त संख्या–6 के अनुपालन हेतु भू–वैज्ञानिक के सुझावों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या–7 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों एवं निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित है।

– शर्त संख्या–8 के अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है।

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा जिसे विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

24.8.17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

पत्रांकः– 490 / *तद्दिनांक*

प्रतिलिपि, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24.8.17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10576/2015 Rawatsera-Manakbhara Motor Road	ROAD105762015573	113105762015573	08 Mar 2016	CA: 1899530.896/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2709468/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4608998.896/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 31 May 2017	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/9499/2015 Kathpuriyachina-Raikholi to Siya Motor Road	ROAD94992015579	11394992015579	19 Aug 2015	CA: 2288280.672/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 3263976/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7278816.672/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Both side plantation of road. : 1726560/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 01 May 2017	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10151/2015 Bageshwar-Tallisera to Simtoli Motor Road	ROAD101512015963	113101512015963	29 Jul 2015	CA: 2233929.4/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 3186450/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5420379.4/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 28 Apr 2017	Demand Letter Generated Challan
4 ✓	FP/UK/ROAD/11323/2015 Kausani to Malladobha Motor Road	ROAD113232015125	113113232015125	02 Nov 2016	CA: 1017013.632/- , PCA: 0/- . Safety Zone: 0/- , NPV: 1450656/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3503605.632/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Both side plantation of Road : 1035936/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 28 Apr 2017	Demand Letter Generated Challan
5	FP/UK/ROAD/11610/2015 Malldoba to Naoghar State Motor Road	ROAD116102015949	113116102015949	31 Jul 2015	CA: 1833203.32/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Mar 2017	Demand Letter Generated Challan

P/C Attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०बागेश्वर

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनाक 08 जून, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाडा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.124 है0 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत भूमि 8.248 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 149 रकवा 4.620 है0, खेत नं0 1482 रकवा 3.800 है0, मध्ये 3.628 है0, कुल खेत 02 कुल रकवा 8.248 है0 जो श्रेणी 9 (3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173 /xviii(II)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1052/ X-4-15/1(532)/2015 दिनांक 08 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 8.248 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 236/ छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 20 / 6 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

20/06/17

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

PIC Attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०बागेश्वर

NZA खतौनी उद्धरण ग्राम बदियाकोट
जिला बदियाकोट तह कपकोट बागेश्वर

श्रेणी १(३)ख ईमारती लकड़ी के वन

खातेदार का नाम	क्र.	खेत नं	रकबा	लगान
जंगल		१५७८	५॥	
		१५७९	२३१	
		१५८५	३८७॥	
		१५८७	१८७।	
		कुल	५२।	
		८३०३	३	
		८३०४	॥८	
		८३०५	२	
योग		३७८	५८०.६१८	

मध्येदय खेत नं. १५७९ रकबा २३१ मध्ये ०.१२५ हे भूमि प्रस्तावित किया

PIC Attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०बागेश्वर

तहसील कपकोट
कपकोट-बागेश्वर

प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित चिन्हित सिविल एवं वन भूमि के कब्जे का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.124 है0 वन भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 8.248 है0 है, जिसका म्यूटेशन विभाग के पक्ष में हुआ है, जिसे हमारे कब्जे में ले लिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग बागेश्वर।

प्रारुप–43

परियोजना का नामः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क** योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में **रावतसेरा से** मानकमाटा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित **होने वाली वनभूमि** का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित बदियाकोट सिविल (श्रेणी 9(3) ख) **स्थल वृक्षारोपण** हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

प्रेषक,

संख्या [illegible]

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 08 ~~फरवरी~~ मार्च 201

विषयः जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.124 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1168/1जी-FP/UK/ROAD/10576/2015, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.124 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.248, है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन

(4)

के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन–लाईन प्रकिया से प्राप्त चाल... जमा करेगा। तत्पश्चात् म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा ... नोडल अधिकारी द्वारा ऑन–लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता अभिक... सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या स... सहित ऑन–लाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी ... माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन–लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

संख्याः 1052 (1)/X-4-15/1(532)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

PIC Attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०बागेश्वर

15/3/016

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग।**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण के एवज में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/1–42, दिनांक 15.12.08 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी गयी है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जाती है तो उसका भी भुगतान उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग को उनकी मॉग पर कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग।**

भू—वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना भू—वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में चिन्हित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।